भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्रमांक:F.Rev/6/0008/2023/Sec-7-7 :: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला बालाघाट में नवीन तहसील लामता का सृजन किया जाता है, जिसमें वर्तमान तहसील बालाघाट के प.ह.न. 01 से 16 तक इस प्रकार कुल 16 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे । प्रस्तावित लामता के गठन के पश्चात शेष बालाघाट तहसील में तहसील बालाघाट के प. ह. न. 17 से 56 तक कुल 40 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्र. F.Rev–6–0008–2023–Sec–7–7.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक: F.Rev–6–0008–2023–Sec–7–7, दिनांक 06 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता हैं.

Bhopal, the 6th October, 2023

No. F.Rev/6/0008/2023/VII/Sec-7:: In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, forms new tehsil Lamta in district Balaghat from the date of publication of this order in the gazette, comprising of 16 patwari halkas,i.e., patwari halka number 1 to 16 of tehsil Balaghat.. After its formation, remaining tehsil Balaghat would comprise of 40 patwari halkas, i.e., patwari halka number 17 to 56 of tehsil Balaghat.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CHANDRASHEKHAR WALIMBE, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्रमांक:F.Rev/6/0011/2023/Sec-7-7 :: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान जिला रायसेन में नवीन तहसील सुल्तानगंज का सृजन किया जाता है, जिसमें वर्तमान तहसील बेगमगंज के प.ह.न. 34 से 61 तक कुल 28 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे । प्रस्तावित तहसील सुल्तानगंज के गठन के पश्चात तहसील बेगमगंज में तहसील बेगमगंज के प.ह.न. 01 से 33 तक इस प्रकार कुल 33 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.